अध्याय III

वित्तीय रिपोर्टिंग

एक मजबूत आन्तरिक वित्तीय सूचना प्रणाली जो कि वित्तीय नियमों के अनुपालन पर आधारित हो, स्वस्थ शासन हेतु आवश्यक है। यह अध्याय वर्तमान वर्ष में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय नियमों के अनुपालन की स्थिति एवं उसका विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

3.1 उपभोग प्रमाण–पत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब

3.1.1 वित्तीय नियमों के प्रस्तर 369–एच के अनुसार विभागीय अधिकारियों द्वारा विशेष प्रयोजन हेतु दिये गये अनुदानों के उपभोग प्रमाण–पत्र अनुदान प्राप्तकर्ताओं से प्राप्त कर अनुदान स्वीकृत होने की तिथि से 18 माह के अन्दर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषित कर दिया जाना चाहिए।

वर्ष 2011–12 की अवधि तक विभिन्न संस्थाओं को स्वीकृत अनुदानों के विरूद्ध अवशेष उपभोग प्रमाण–पत्रों की स्थिति **सारणी 3.1** में दी गयी हैं।

सारणी 3.1: अवशेष उपभोग प्रमाण–पत्रों की स्थिति

अवधि	अवशेष उपभोग प्रमाण पत्रों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
2009-10 की अवधि तक	15,757	6,703.35
2010-11	13,009	6,579.84
2011-12	20,132	7,546.70
योग	**48,898**	**20,829.89**

स्रोत: वित्त लेखे

इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2011–12 के अन्त तक ₹ 20,829.89 करोड़ के 48,898 उपभोग प्रमाण पत्र अवशेष थे।

3.1.2 उपभोग प्रमाण–पत्र प्रेषण के संबंध 18 विभागों से संबंधित आँकड़े/सूचनायें माह सितम्बर 2012 में एकत्र किये गये थे। एकत्र किये गये आँकड़ों/सूचनाओं की जाँच में यह पाया गया कि माह सितम्बर 2012 तक कुल धनराशि ₹ 4,591.94 करोड़ (2010–11 तक भुगतानित) के उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त होने शेष थे। अवशेष उपभोग प्रमाण पत्रों का विभागवार विवरण ***परिशिष्ट 3.1*** में दिया गया है तथा उनके प्रेषण में हुए विलम्ब का अवधिवार विवरण **सारणी 3.2** में सारांशीकृत है।

सारणी 3.2: अवशेष प्रमाण–पत्रों की अवधिवार स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	विलम्ब वर्षों में	कुल भुगतानित अनुदान		अवशेष उपभोग प्रमाण–पत्र	
		संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
1	0 - 1	762	4,235.91	263	1,503.25
2	1 - 3	1,613	5,202.99	785	2,855.48
3	3 - 5	1,012	308.80	474	232.92
4	5-7	6	0.86	3	0.29
योग		**-**	**9,748.56**	**1,525**	**4,591.94**

स्रोत: सम्बन्धित विभाग

कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी को वर्ष 2008–09 की अवधि में ₹ 1,822.91 करोड़ एवं वर्ष 2007–08 की अवधि में ₹ 173.80 करोड़ का भुगतान किया गया था। इन अनुदानों से संबंधित उपभोग प्रमाण पत्र क्रमशः तीन एवं चार वर्षोंपरान्त भी प्राप्त नहीं हुए थे।

अन्य प्रमुख विभाग यथा नगरीय विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग (राज्य नगरीय विकास अभिकरण) (₹ 189.10 करोड़), दुग्ध विकास विभाग (₹ 102.80 करोड़), समाज कल्याण विभाग (₹ 79.98 करोड़), महिला कल्याण विभाग (₹ 21.98 करोड़) तथा

समाज कल्याण विभाग–अनुसूचित जन–जाति विकास (₹ 13.13 करोड़) भी अनुदान प्राप्तकर्ता से उपभोग प्रमाण–पत्र प्राप्त किये जाने में विफल थे।

3.2 विस्तृत आकस्मिक बिल

शासनादेश संख्या ए–1–3(1)10–10820/2001 दिनांक 24 जनवरी 2006 में निहित दिशा निर्देशों के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी लेखाशीर्ष को डेबिट करते हुए सार आकस्मिक बिलों के माध्यम से धनराशियाँ आहरित किए जाने हेतु प्राधिकृत है। आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के लिए यह आवश्यक है कि इस प्रकार धनराशि के आहरण किये जाने के एक माह के अन्दर विस्तृत बिलों (अन्तिम व्यय जिसके समर्थन में वाउचर्स हों) को संबंधित नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करने एवं महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को भेजने हेतु प्रेषित करें ।

लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ₹ 157.54 करोड़ के 10,939 सार आकस्मिक बिल मार्च 2012 तक अवशेष थे। वर्षवार अवशेषों की स्थिति **सारणी 3.3** में दी गयी हैं।

सारणी 3.3: अवशेष सार आकस्मिक बिल

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आहरित सार आकस्मिक बिल		विस्तृत आकस्मिक बिल		अवशेष सार आकस्मिक बिल	
	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
2009-10तक	10,764	78.49	2,122	1.34	8,642	77.15
2010-11	1,687	53.28	232	12.31	1,455	40.97
2011-12	1,247	100.41	405	60.99	842	39.42
योग	**13,698**	**232.18**	**2,759**	**74.64**	**10,939**	**157.54**

स्रोतः वित्त लेखे

क्षेत्रीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद के अभिलेखों की अगस्त 2012 में की गयी नमूना जाँच में यह पाया गया कि वर्ष 2011–12 की वार्षिक परीक्षा आयोजन के व्ययों की पूर्ति हेतु ₹ 28.13 लाख की धनराशि आहरित की गयी थी। इस आहरित की गई धनराशि में से ₹ 21.31 लाख की धनराशि का विस्तृत आकस्मिक बिल माह अगस्त 2012 तक आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसी तरह, ₹ 12.68 लाख एवं ₹ 14.10 लाख सार आकस्मिक बिल के माध्यम से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा क्रमशः वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में आहरित किये गये थे जिसमें से क्रमशः ₹ 6.05 लाख एवं ₹ 8.25 लाख के विस्तृत आकस्मिक बिल अगस्त 2012 तक प्रस्तुत नहीं किये गये थे। बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा निदेशालयों के अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि वर्ष 2009–12 की अवधि में विस्तृत आकस्मिक बिल एक से आठ माह विलम्ब से प्रस्तुत किये गये। विस्तृत आकस्मिक बिलों को प्रस्तुत न किया जाना अथवा विलम्ब से प्रस्तुत करना कमजोर वित्तीय प्रबन्धन एवं प्रभावी आन्तरिक नियंत्रण को दर्शाता है। सितम्बर 2012 में प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया था, उत्तर प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2012)।

3.3 स्वायत्त निकायों द्वारा लेखा/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विलम्ब से प्रस्तुत किया जाना

नौ स्वायत्त निकायों[1] के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को दी गयी हैं। लेखापरीक्षा दिये जाने की स्थिति, लेखों का लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये जाने, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को निर्गत करने एवं विधान मण्डल में प्रस्तुत करने की स्थिति का विवरण ***परिशिष्ट 3.2*** में दिया गया है। लेखों को लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब की स्थिति **सारणी 3.4** में सारांशीकृत हैं।

[1]जल संस्थान आगरा, इलाहाबाद, चित्रकूट धाम बाँदा मण्डल, झाँसी, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ एवं उ0प्र0 राज्य वैधानिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ।

सारणी 3.4: लेखों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब (माह में)	स्वायत्त निकायों की संख्या	विलम्ब का कारण
1- 12	5	आगरा, चित्रकूट धाम मण्डल बाँदा, झाँसी, कानपुर एवं लखनऊ जल संस्थानों द्वारा 1–12 माह तक अपने लेखे विलम्ब से प्रस्तुत किये गये।
12-24	2	जल संस्थान, इलाहाबाद एवं झाँसी ने अपने–अपने लेखे 12–24 माह विलम्ब से प्रस्तुत किया।
24 माह से अधिक	2	उ0प्र0 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ एवं उ0प्र0 राज्य वैधानिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ ने अपने वर्ष 2009–10, वर्ष 2010–11 एवं वर्ष 2011–12 के लेखे प्रस्तुत नहीं किये।
योग	9	

स्रोतः सम्बन्धित विभाग के अभिलेख

लेखों के विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने से धनराशियों के दुरुपयोग एवं गबन की आशंका बनी रहती है। इसके अतिरिक्त उ0प्र0 राज्य वैधानिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ की वर्ष 2006–07, वर्ष 2007–08 एवं वर्ष 2008–09 के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधान मंडल के पटल पर रखा जाना अवशेष था।

3.4 विभागीय वाणिज्यिक/अर्द्धवाणिज्यिक उपक्रम

विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा निर्धारित प्रारूप में वित्तीय लेन देन एवं व्यवसाय में दक्षता दर्शाते हुए प्रति वर्ष प्रोफार्मा लेखा बनाया जाता है। इन लेखों को लेखापरीक्षा हेतु लेखा–बन्दी के तीन माह के अन्दर महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

राज्य में मार्च 2012 तक 10 उपक्रम थे। इनमें से छः उपक्रमों ने अद्यतन प्रोफार्मा एकाउन्ट तैयार नहीं किये थे। ऐसे विभागवार उपक्रम, जिनके प्रोफार्मा लेखे शेष थे, का विवरण ***परिशिष्ट 3.3*** में दिया गया है। स्टेट फार्मेसी ऑफ आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी मेडिसिन तथा क्रिमिनल ट्राइब्स सेटलमेन्ट टेलरिंग फैक्टरी ने, जिनमें सरकार द्वारा ₹ 13 लाख का निवेश किया गया था (उपलब्ध लेखों के आधार पर), अपने–अपने लेखे क्रमशः वर्ष 1988–89 एवं वर्ष 1980–81 से तैयार नहीं किये थे। इसी तरह, खाद्यान्न की सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसमें शासन द्वारा ₹ 2,131.07 करोड़ का निवेश किया गया था, के लेखे भी वर्ष 2009–10 से वर्ष 2011–12 तक तैयार नहीं किये गये थे एवं सिंचाई निर्माण खण्ड, इलाहाबाद एवं झाँसी, जिनका शासकीय निवेश ₹ 5.05 करोड़ था, का प्रोफार्मा एकाउन्ट नहीं तैयार किया गया था। फलस्वरुप, शासन द्वारा निवेशित धनराशि लेखापरीक्षा/राज्य विधायिका से की जाने वाली जाँच से परे थी। लेखों को तैयार न किये जाने के कारण यह भी संभावना बनी रहती है कि उपक्रमों द्वारा निधियों का दुरुपयोग किया गया हो। यह प्रकरण सितम्बर 2012 में शासन को संदर्भित किया गया था, उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2012)।

3.5 दुर्विनियोग, हानि, गबन इत्यादि

वित्तीय नियमों के प्रस्तर 82 के अनुसार हानि एवं गबन के प्रकरणों को प्रधान महालेखाकार को तुरन्त प्रेषित किये जाने चाहिए ऐसे प्रकरणों को उत्तरदायी द्वारा क्षतिपूर्ति कर दिये जाने के बावजूद भी प्रेषित किया जाना चाहिए।

वर्ष 2011–12 की अवधि तक लंबित इस प्रकार के 159 प्रकरण थे जिनमें ₹ 890.41 लाख की धनराशि निहित थी। विभागवार लंबित प्रकरणों एवं उनका अवधिवार विश्लेषण ***परिशिष्ट 3.4*** एवं उनके विवरण ***परिशिष्ट 3.5*** में दिये गये है। इन परिशिष्टियों में वर्णित प्रत्येक श्रेणी यथा चोरी, गबन/हानि का अवधिवार लम्बित 159 प्रकरण **सारणी 3.5** में सारांशीकृत है।

सारणी 3.5: दुर्विनियोग, हानि, गबन आदि की स्थिति

अवधि (वर्षों में)	प्रकरणों की संख्या	सम्मिलित धनराशि (लाख रुपये में)	विवरण	प्रकरणों की संख्या	सम्मिलित धनराशि (₹ लाख में)
0 - 5	36	359.56	चोरी	84	45.28
5 - 10	23	53.78			
10 - 15	29	24.56	सामग्रियों की गबन/हानि	82	848.45
15 - 20	25	68.31			
20 - 25	27	39.23	**योग**	**164**	**893.73**
25 और इससे अधिक	19	344.97	वर्ष के दौरान निस्तारित /अपलेखित प्रकरण	5	3.32
योग	**159**	**890.41**	**लम्बित प्रकरणों का योग**	**159**	**890.41**

स्रोतः सम्बन्धित विभाग के अभिलेख

सारणी के विश्लेषण में यह देखा गया कि वर्ष 2011–12 की अवधि में 164 प्रकरणों जिनमें ₹ 893.73 लाख की धनराशि निहित थी, में से ₹ 3.32 लाख के पॉच प्रकरण ***(परिशिष्ट 3.6)*** निस्तारित/अपलेखित किये गये थे और अवशेष 159 प्रकरण जिनमें ₹ 890.41 लाख की धनराशि निहित थी, मार्च 2012 तक विभिन्न कारणों से लम्बित थे जैसा कि **सारणी 3.6** में दिया गया है।

सारणी 3.6 : दुर्विनियोग, गबन, हानि आदि के लम्बित प्रकरणों का कारण

	विलम्ब/लम्बित प्रकरणों का कारण	प्रकरणों की संख्या	धनराशि (₹ लाख में)
1.	विभागीय एवं अपराधिक जॉच अपेक्षित है	20	167.78
2.	विभागीय जॉच प्रारम्भ की गयी परन्तु अन्तिम रुप नहीं दिया गया	79	471.75
3.	कार्यवाही पूरी की गयी, परन्तु धनराशि की वसूली शेष है	7	14.32
4.	वसूली या अपलेखन के आदेश अपेक्षित हैं	11	5.03
5.	न्यायालय में लम्बित	42	231.53
	योग	**159**	**890.41**

स्रोतः सम्बन्धित विभाग के अभिलेख

3.6 लघु लेखा शीर्ष–800 के अंतर्गत 'अन्य राजस्व प्राप्तियाँ' एवं अन्य व्यय' का दर्शाया जाना

लेखों की शुद्धता के लिये शासन के कार्यक्रमों/क्रियाकलापों पर किये गये व्यय को उन्हीं कार्यक्रमों/क्रियाकलापों मे वर्गीकृत किया जाना चाहिए। फिर भी, जॉच में यह पाया गया कि ₹ 1,30,869.70 करोड़ की सकल राजस्व प्राप्तियों में से ₹ 17,217.69 करोड़ (10 प्रतिशत) की धनराशियाँ '800–अन्य प्राप्तियाँ' में वर्गीकृत की गई थी। इसी प्रकार, ₹ 1,45,459 करोड़ (राजस्वः ₹ 1,23,885 करोड़, पूंजीगतः ₹ 21,574 करोड़) में से ₹ 16,211.32 करोड़ की धनराशि का वर्गीकरण लघुशीर्ष–'800–अन्य व्यय' के अंतर्गत किया गया था। कुछ ऐसे प्रकरण **सारणी 3.7** में दिये गये हैं।

सारणी 3.7: लघु लेखा शीर्ष–800 के अंतर्गत 'अन्य राजस्व प्राप्तियाँ' एवं' अन्य व्यय' का दर्शाया जाना

विवरण	प्राप्तियाँ		व्यय	
	धनराशि (₹करोड़ में)	लेखाशीर्ष	धनराशि (₹करोड़ में)	लेखाशीर्ष
100 प्रतिशत एवं अधिक	189.67	1456, 0023, 0217, 0575, 0801	4113.10	2801, 4070, 2705,2407, 4853, 5053
75 *प्रतिशत* एवं 99 *प्रतिशत के मध्य*	5,055.55	0852, 1452, 0235, 0406, 0230, 0075, 0059, 0070	255.23	2575, 2700
50 *प्रतिशत* एवं 74 *प्रतिशत के मध्य*	9,810.21	1054, 0029, 0403, 0515, 1601	1298.62	2405, 4406, 4235, 2425, 4575
50 *प्रतिशत के नीचे*	1014.24	0202, 0055, 0435, 0702, 0401	2491.40	4401,2501, 2040, 3054, 2013, 2702, 2852, 2401, 2070, 2075

स्रोतः वित्त लेखे

परिणामस्वरूप, शासन के विभिन्न कार्यक्रमों/क्रियाकलापों के अंतर्गत किया गया व्यय एवं लघु शीर्ष '800 अन्य व्यय' के अन्तर्गत वर्गीकृत व्यय वित्त लेखों में अलग से दर्शाये नहीं जा सके जिससे कि लेखों की शुद्धता प्रभावित हुई हैं। शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्राप्तियों एवं व्ययों को उचित शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाए।

3.7 धनराशियों को केन्द्रीय सड़क निधि में हस्तांतरण न किया जाना

भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क निधि हेतु धनराशि अनुदानों के रूप में अवमुक्त किया जाता है जिसे कि मुख्य लेखाशीर्ष '1601–सहायता अनुदान' में वर्गीकृत किया जाता है। अवमुक्त की गयी इस धनराशि को राज्य सरकार द्वारा बजट में प्रावधान किये जाने के उपरान्त 'केन्द्रीय सड़क निधि' से मुख्य लेखा शीर्ष '8449–अन्य जमा–103–आर्थिक सहायता' में हस्तान्तरित करने की आवश्यकता पड़ती है।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011–12 की अवधि में सड़क निर्माण हेतु अनुदान ₹ 210.25 करोड़ 'केन्द्रीय सड़क निधि' में अन्तरित किया गया था। चूंकि, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011–12 की अवधि में बजट में प्रावधान नहीं किया गया, इस धनराशि को 'केन्द्रीय सड़क निधि' से मुख्य शीर्ष '8449–अन्य जमा–103–आर्थिक सहायता' में स्थानान्तरित नहीं किया जा सका। यह धनराशि राज्य की समेकित निधि में मार्च 2012 के अन्त तक पड़ी हुई थी।

3.8 नकद अवशेषों में भिन्नता

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के आकलन के अनुसार 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक में ₹ 619.34 करोड़ (क्रेडिट) की धनराशि नकद अवशेष के रूप में उपलब्ध थी जबकि रिजर्व बैंक द्वारा सूचित यह नकद अवशेष की धनराशि ₹ 839.85 करोड़ (डेबिट) थी जिससे कि ₹ 220.51 करोड़ (डेबिट) का अंतर था। यह अंतर मुख्य रूप से कोषागार के अधिकारियों एवं एजेंसी बैंको द्वारा रिजर्व बैंक को लेन–देनों के गलत आँकड़े प्रेषित किए जाने के फलस्वरुप था। ₹ 220.51 करोड़ (डेबिट) की विसंगतियों हेतु एजेंसी बैंको एवं कोषागार के अधिकारियों द्वारा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, फण्ड सेटेलमेंट, लिंक कार्यालय, कानपुर को समायोजन हेतु प्रेषित (जुलाई 2012) किया गया है ।

3.9 व्यक्तिगत जमा लेखाओं में धनराशियों का अन्तरण

व्यक्तिगत जमा लेखाओं में अन्तरण राज्य की समेकित निधि (मुख्य लेखा शीर्ष) से व्यय के रूप में लेखांकित होता है। राज्य सरकार धनराशियों को जमा करने हेतु व्यक्तिगत जमा खातों को खोलने के लिए अधिकृत है परन्तु व्यक्तिगत जमा लेखाओं के संचालकों के लिये यह आवश्यक है कि वित्तीय वर्ष के अन्तिम कार्य दिवस को ऐसे लेखाओं को बन्द करके अप्रयुक्त धनराशियों को राज्य सरकार के खाते में अंतरित कर दें। फिर भी, 60 व्यक्तिगत जमा खातों के संचालकों द्वारा अवशेष ₹ 0.25 करोड़ की अवशेष धनराशि को राज्य सरकार के खाते में अंतरित नहीं किया गया था। इन खातों में व्यक्तिगत जमा खातों की स्थिति **सारणी 3.8** में दी गयी है।

सारणी 3.8 व्यक्तिगत जमा खातों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	01-04-2011 को प्रारंभिक अवशेष		खातों की संख्या				31-03-2012को अन्तिम अवशेष	
			वर्ष के दौरान खोले/नवीनीकरण किये गये		वर्ष के दौरान बन्द किये गये			
	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
8443-106	66	0.43	शून्य	शून्य	6	0.18	60	0.25
8443-106 के अतिरिक्त	1, 540	2, 853.33	शून्य	शून्य	28	1, 519.72	1,512	1, 333.61
योग	**1, 606**	**2, 853.76**	**शून्य**	**शून्य**	**34**	**1, 519.90**	**1, 572**	**1, 333.86**

स्रोतः वित्त लेखा

कोषागारों से प्राप्त सूचना के अनुसार 1,572 में से 508 व्यक्तिगत जमा लेखाओं का मिलान किया गया था । यह भी प्रकाश में आया कि बजट आवंटन भी सार आकस्मिक बिलों के माध्यम से आहरित कर उद्दिष्ट व्यक्तिगत जमा लेखाओं में जमा किया गया था। उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ एवं उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम के व्यक्तिगत जमा लेखाओं की नमूना जाँच में पाया गया कि:–

- निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ के लिए ₹ 2.00 करोड़ वर्ष 2006–07 में स्वीकृत किया गया जिसे कि उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ के खाते में जमा किया गया था। उस धनराशि का उपयोग न किये जाने के कारण अन्ततः पाँच वर्ष के पश्चात् राज्य सरकार के खाते में मार्च 2012 में अन्तरित कर किया गया।

- उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम, लखनऊ के व्यक्तिगत लेखा खाते में विविध कियाकलापों से संबंधित धनराशि ₹ 12.59 करोड़ विभिन्न अवधियों में जमा रही। धनराशि का उपयोग न किये जाने के फलस्वरुप अन्ततः राज्य सरकार के खाते में वर्ष 2011–12 में अन्तरित किया गया।

3.10 व्यय के आँकड़ों का मिलान

यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विभागीय लेखे पर्याप्त रूप से सही हो। बजट मैनुअल के प्रस्तर–124 में उल्लिखित है कि नियंत्रण अधिकारियों की पुस्तकों में अभिलिखित व्यय के विभागीय आँकड़ों का मिलान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के पुस्तकों में अभिलिखित धनराशि से किया जाना चाहिए। यह देखा गया कि वर्ष 2011–12 की अवधि में ₹ 1,46,435 करोड़ के व्यय के विरूद्ध नियंत्रण अधिकारियों द्वारा ₹ 1,44,635 करोड़ (99 *प्रतिशत*) का ही मिलान किया गया था। इस प्रकार, 10 नियंत्रण अधिकारियों द्वारा ₹ 824.25 करोड़ के व्यय का मिलान वर्ष 2011–12 में नहीं किया गया था, जैसा कि **सारणी 3.9** में दिया गया है।

सारणी 3.9: वर्ष 2011–12 में व्यय का मिलान न करने वाले नियंत्रण अधिकारियों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	नियंत्रण अधिकारी	मिलान न की गयी धनराशि
	व्यय	
1	आयुक्त, वक्फ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	1.22
2	प्रमुख सचिव, कृषि अनुसंधान परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	284.96
3	सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	20.28
4	निबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद	45.31
5	सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	3.97
6	आयुक्त/प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ	17.69
7	निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	169.22
8	सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	35.30
9	सचिव, आवास एवं नगर नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ	243.29
10	सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ	3.01
	योग	**824.25**

स्रोतः महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

नियंत्रण अधिकारियों द्वारा व्यय के आँकड़ों का मिलान न किया जाना वित्तीय प्रबन्धन में कमी दर्शाता है।

3.11 निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय नियमों एवं कार्यप्रणालियों के अनुपालन में कमियाँ थी। अनुदान प्राप्तकर्ताओं से अत्यधिक धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र अप्राप्त थे। वित्तीय वर्ष के अन्त तक अत्यधिक धनराशि के सार आकस्मिक बिलों के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक बिलों का प्रस्तुत किया जाना शेष था। इसके अतिरिक्त, दुर्विनियोग, गबन, हानियों आदि के अत्यधिक प्रकरण वसूली/अपलेखन न किए जाने के फलस्वरूप लंबित थे।

संस्तुतियां

- दुर्विनियोग, गबन, हानियाँ आदि के समस्त प्रकरणों में विभागीय जाँच में तेजी लायी जानी चाहिए जिससे कि दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके। इसी उद्देश्य से विभिन्न विभागों की आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली भी सुदृढ़ की जानी चाहिए जिससे कि ऐसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।
- राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्वायत्त निकायों द्वारा अपने लेखों को एवं अनुदान प्राप्तकर्ता अपने उपभोग प्रमाण पत्रों को समय से प्रेषित करें।

(मुकेश पी सिंह)

इलाहाबाद — प्रधान महालेखाकार (जी0 एण्ड एस0एस0ए0)

दिनांक 19 दिसम्बर 2012 — उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

(विनोद राय)

नई दिल्ली — भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

दिनांक 28 दिसम्बर 2012